



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021) के लिए डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा नागपुर के संबंध में टैरिफों के निर्धारण के मामले में

30 नवम्बर, 2017

ऐरा बिल्डिंग
प्रशासनिक परिसर
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली-110003

14. आदेशों का सारांश

निर्णय संख्या- 1	टैरिफ निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली
निर्णय संख्या- 2	नियामक परिसंपत्ति आधार
निर्णय संख्या -3	रिर्टन की उचित दर (FRoR)
निर्णय संख्या -4	प्रचालन (आपरेटिंग) व्यय
निर्णय संख्या -5	वैमानिक सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से राजस्व (रेवन्यू)
निर्णय संख्या -6	कराधान
निर्णय संख्या -7	कुल राजस्व आवश्यकता
निर्णय संख्या -8	ट्रैफिक पूर्वानुमान
निर्णय संख्या -9	टैरिफ कार्ड के संबंध में

15. आदेश

- 15.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण नागपुर हवाई अड्डे पर 16.12.2017 से 31.03.2021 तक लगाए जाने वाले वैमानिक टैरिफों को निर्धारित करता है जो **संलग्नक-1** में दिए गए हैं।
- 15.2 प्राधिकरण विमान नियम 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूडीएफ की दर निर्धारित करता है जैसाकि संलग्नक-1 में दर कार्ड में दर्शाया गया है। ये दरें 16.12.2017 से प्रभावी होंगी।
- 15.3 इसमें निर्धारित टैरिफों की दरें अधिकतम हैं, कर यदि कोई हो तो वह इसमें शामिल नहीं है।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह/-
(पूजा जिंदल)
सचिव

सेवा में,

वरिष्ठ हवाई अड्डा निदेशक,
एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड,
डीबीएआई हवाई अड्डा
नागपुर -440005

स्टॉप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक-1 : प्राधिकरण द्वारा टैरिफ कार्ड 16.12.2017 या एआईसी जारी करने की तारीख, जो भी बाद में हो से 31.03.2021 तक के लिए निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रभार नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क. हाऊसिंग प्रभार (अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू प्रभार)

विमान का वजन	संशोधित दर प्रति घंटे (रूपए)
40,000 किग्रा तक	5.25 रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए
40,001 किग्रा से 1,00,000 किग्रा तक	210/- रूपए और 40,000 किग्रा से अधिक के लिए 10.20/- रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 किग्रा के लिए
1,00,000 किग्रा से अधिक	822/- रूपए और 1,00,000 किग्रा से अधिक के लिए 15.45/- रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 कि.ग्रा. के लिए

ख. पार्किंग प्रभार (अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू प्रभार)

विमान का वजन	संशोधित दर प्रति घंटा (रूपए)
40,000 किग्रा तक	2.70/- रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 किग्रा के लिए
40,001 किग्रा से 1,00,000 किग्रा तक	108/- रूपए और 40,000 कि.ग्रा से अधिक के लिए 5.10/- रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 कि.ग्रा के लिए
1,00,000 किग्रा से अधिक	414/- रूपए और 1,00,000 किग्रा से अधिक के लिए 7.80 रूपए प्रति घंटा प्रति 1,000 किग्रा के लिए

ग. लैंडिंग प्रभार (अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू प्रभार)

1. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

विमान का वजन	संशोधित दरें (रूपए)
10,000 किग्रा तक	183.15/- रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए
10,001 किग्रा से 20,000 किग्रा तक	1831.50/- रूपए और 10,000 किग्रा से अधिक के लिए 268.95/- रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए
20,001 किग्रा से 50,000 किग्रा तक	4521/- रूपए और 20,000 किग्रा से अधिक के लिए 531.30 रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए
50,001 किग्रा से 1,00,000 किग्रा तक	रूपए 20,460/- रूपए और 50,000 किग्रा से अधिक के लिए 620.40 रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए
1,00,000 किग्रा से अधिक	51,480/- रूपए और 1,00,000 किग्रा से अधिक के लिए 707.85 रूपए प्रति 1000 किग्रा के लिए

2. घरेलू उड़ानें

विमान का वजन	संशोधित दरें (रूपए)
10,000 किग्रा तक	100.65 रूपए प्रति 1,000 किग्रा
10,001 किग्रा से 20,000 किग्रा तक	1,006.50/- रूपए और 10,000 किग्रा से अधिक के लिए 176.65/- रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए
20,000 किग्रा से अधिक	2,772/- रूपए और 20,000 किग्रा से अधिक के लिए 346.50/-रूपए प्रति 1,000 किग्रा के लिए

घ. उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर (रूपए)
यूडीएफ घरेलू सवार यात्री के लिए	377 रूपए
यूडीएफ अंतर्राष्ट्रीय सवार यात्री के लिए	227 रूपए

टिप्पणी : विदेशी मुद्रा में यूडीएफ की गणना के लिए, पहले पखवाड़े में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले महीने के अंतिम दिन आरबीआई संदर्भ संपरिवर्तन प्रभार और दूसरे पखवाड़े में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख के अनुसार दर को अपनाया जाएगा।

ड. यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) - सिक्युरिटी *

प्रति सवार यात्री
130 रूपए

* पीएसएफ - सिक्युरिटी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

च. थ्रूपुट प्रभार

रेट प्रति किलोलीटर (रूपए में)
540.80 रूपए

स्टॉप

